



न्यायालय राजस्व मण्डल म०प० ग्वालियर ।

श्री मिश्रानी दत्तिया भू.स/2018/2536
प्रकरण क्रमांक /2018

रामसेवक शर्मा
प्रमाण स्थान 24-4-18
प्रस्तुत प्रारम्भिक क्रमांक
दिनांक 27-4-18

राजस्व मण्डल, ग्वालियर 24-4-18

किशोरी पुत्र कन्हई खटीक,
आयु 52 साल, निवासी बार्ड क्र० 13,
ग्वालियर वौराहा, इन्दरगढ़, दत्तिया
जिला दत्तिया म०प० ~~अवेदक~~

बनाम

१।- रामसेवक तनय मोटे खटीक, आयु 65 साल,

२।- दिलीप पुत्र रामदयाल खटीक, आयु 43 वर्ष
निवासी बार्ड क्र० 13, ग्वालियर वौराहा,
इन्दरगढ़, दत्तिया जिला दत्तिया म०प०

~~अवेदक~~
--- असल ~~अवेदक~~

३।- कैलाशी पत्नि स्व० लक्ष्मण खटीक, आयु 60 वर्ष

४।- मोहन पुत्र स्व० लक्ष्मण खटीक, आयु 37 वर्ष

५।- कैलाशी पत्नि स्व० जगन्नाथ आयु 5 वर्ष

६।- जगदीश पुत्र जगन्नाथ खटीक आयु 45 वर्ष

७।- वेवी पत्नि स्व० राजू खटीक, आयु 40 वर्ष

८।- सागर नाबालिग पुत्र राजू खटीक, आयु 13 वर्ष

९।- बबली नाबालिग पुत्री राजू खटीक, आयु 10 वर्ष

क्रमांक 7 व 8 नाबालिग पुत्री राजू खटीक

अक नाबा० संरक्षक माँ बेबी पत्नि स्व०

राजू खटीक निवासी गणा बार्ड क्र० 13 ग्वालियर

-र वौराहा, इन्दरगढ़, जिला दत्तिया म०प०

रामसेवक शर्मा
24-4-18

3

अ/अपील/दत्तिया/अ.श/2018/2536

11211

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मओपू भूराठो संहिता 1959,
विरुद्ध आदेश दिनांक 31- 3- 2018 द्वारा पारित न्यायालय
अनुविभागीय अधिकारी सेवदा , जिला दत्तिया , प्रकरण क्रमांक
11/अपील /17-18 के निर्णय से दुखित होकर ।

---0---

श्रीमान् जी ,

आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला....दत्तिया.... ।के मूल/अपीलीय आदेश
दिनांक : ...31/03/2018... के विरुद्ध
...किशोरी...।...रामसेवक,दलीप...।...रामसेवक शर्मा... के अभिभाषक द्वारा
निगरानी - पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है ।

प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक ...27/04/2018... है । जिसकी सूचना आपको
एस.एम.एस. से दी जा चुकी है।

27/4/18. अन्तर्गत आदेश । निगरानी अन्तर्गत अभिभाषक उक्तिका उक्त
निगरानी अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत सेवदा
द्वारा उक्त 3. 11/ अपील 17-18 में दिनांक 31-03-18
को पारित आदेश से विरुद्ध भी उक्त है । अन्तर्गत
न्यायालय द्वारा धारा 5 मओपू अन्तर्गत से अन्तर्गत
अन्तर्गत करने हुए, उक्त आन्तर्गत के लिये

(Handwritten signature)

लिपिपत्र है

सं/क्रि./कवि/शु.श/२०१४/२५३६

प्रियुक्त विषय गण्य है। विवाह आरेख में तैयारी के
वैधानिक कृति परिलक्षित नहीं होती है, जिस पर इन
न्यायालय द्वारा विवाह विवाह जॉर्न, कानूनरूप विजयानी
शेकेदर असीकर विवाह जाता है। उक्त न्यायालय लेकर
गण्यता दिखाई जायित हो।

By and 27/4/15
करल